

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(2)(1)/पंचा/रानिआ/2022/ 8867

दिनांक: 28.04.22

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय:- पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव माह मई, 2022 – मतदान एवं मतगणना तिथि में संशोधन के संबंध में।

संदर्भ:- आयोग का पत्रांक 8687 दिनांक 18.04.2020

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से पंचायतीराज संस्थाओं में दिनांक 31.01.2022 तक की रिक्तियों पर उप चुनाव कराए जाने हेतु कार्यक्रम घोषित किया गया था। घोषित कार्यक्रम के अनुसार मतदान दिनांक 08.05.2022 (रविवार) को एवं मतगणना दिनांक 09.05.2022 को होना निर्धारित है।

कतिपय जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि राज्य में 5वीं एवं 8वीं बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं संचालित हो रही हैं एवं दिनांक 08.05.2022 (रविवार) को भी परीक्षा होना निर्धारित है। जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा भी अवगत कराया गया है कि अधिकांश मतदान केन्द्रों में उक्त तिथि को परीक्षाएं आयोजित होनी हैं। अतः चुनाव कार्यक्रम एवं परीक्षाएं एक ही दिन होने से दोनों कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है।

अतः उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से जारी चुनाव कार्यक्रम की मतदान एवं मतगणना की तिथियों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

➤ जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए

क्र.स.	कार्य का विवरण	तिथियां
1	मतदान की तिथि एवं समय	10.05.2022 (मंगलवार) प्रातः 7.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
2	मतगणना 1. जिला परिषद सदस्य – जिला मुख्यालय पर 2. पंचायत समिति सदस्य – पंचायत समिति मुख्यालय पर	11.05.2022 (बुधवार) प्रातः 9.00 बजे से
3	उपप्रधान का चुनाव	12.05.2022 (गुरुवार)

➤ सरपंच एवं पंच के लिए

क्र.स.	कार्य का विवरण	तिथियां
1	मतदान की तिथि एवं समय	07.05.2022 (शनिवार) प्रातः 7.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
2	मतगणना (पंचायत मुख्यालय पर)	07.05.2022 (शनिवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्
3	उपसरपंच का चुनाव	08.05.2022 (रविवार)

संशोधित चुनाव कार्यक्रम के संबंध में आयोग द्वारा यह भी निर्देश प्रदान किए जात हैं कि :-

1. चुनाव कार्यक्रम में किए गए संशोधनों की सीमा तक दिनांक 25.04.2022 को जारी की गई लोक सूचना में संशोधन कर संशोधित लोकसूचना दिनांक 29.04.2022 को जारी की जाए।
2. मतदान एवं मतगणना की परिवर्तित तिथियों से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को अवगत कराया जाए।
3. मतदान एवं मतगणना की परिवर्तित तिथियों से जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाए।
4. मतदान एवं मतगणना की परिवर्तित तिथियों का प्रचार-प्रसार संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में भी समुचित रूप से कराया जाए।

उप चुनाव के संबंध में शेष निर्देश संदर्भित पत्र में अंकितानुसार यथावत रहेंगे।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार जैन) 28.04.2022

उप सचिव

दिनांक: 28.04.22

क्रमांक: एफ. 7(2)(1)/पंचा/रानिआ/2022/ 8868-8881
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय/मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार/सचिव राजस्थान विधानसभा को आयोग के पत्रांक 8729/20.04.2022 के क्रम में।
2. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, विशेषाधिकारी, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री राजस्थान सरकार को आयोग के पत्रांक 8730 दिनांक 20.04.2022 के क्रम में।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान को आयोग के पत्रांक 8728 दिनांक 20.04.2022 के क्रम में।
4. अति. मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को आयोग के पत्रांक 8705/20.04.2022 के क्रम में।
5. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग/महानिदेशक पुलिस, राज., को आयोग के पत्रांक 8711/20.04.2022 के क्रम में।
6. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं न्याय विभाग को आयोग के पत्रांक 8712/20.04.2022 के क्रम में।
7. शासन सचिव पंचायतीराज/उच्च शिक्षा विभाग को पत्रांक 8705/20.04.2022 के क्रम में।
8. शासन सचिव पंचायतीराज विभाग को पत्रांक 8724/20.04.2022 के क्रम में।
9. शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को पत्रांक 8718 एवं 8720 दि. 20.04.2022 के क्रम में।
10. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
11. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
12. निजी सहायक, सचिव/उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
13. समस्त अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
14. संस्थापन/स्टोर/लेखा/सांख्यिकी/कम्प्यूटर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

(अशोक कुमार जैन) 28.04.2022
उप सचिव